

फ.सं.पीबी/आर.टी.आई./197/2016-17-जए
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Central Administrative Tribunal
प्रधान न्यायपीठ
Principal Bench

स्पीड-पोस्ट

61/35 कॉपरनिकस मार्ग
61/35, Copernicus Marg
नई दिल्ली -110001
New Delhi- 110001

अपील सं. 27/2019-20

दिनांक : 08.08.2019

श्री सिकन्दर पाल
सी.पी.आई.ओ., केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

अपीलार्थी
प्रत्यर्थी

तथ्य :

आवेदक का यह प्रथम अपील दिनांकित 22.05.2019 सूचना का अधिकार आवेदन दिनांकित 05.04.2019 के संदर्भ में सी.पी.आई.ओ. के उत्तर दिनांकित 24.04.2019 के प्रति दाखिल किया गया है। मैंने केस के सभी रिकॉर्ड को देख लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती उर्मिल सेठ ने वर्तमान आवेदक के दुर्व्यवहार के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए, सी.पी.आई.ओ. द्वारा सूचना नहीं दी गई थी।

आवेदक द्वारा श्रीमती उर्मिल सेठ की सेवा-समाप्ति के अनुरोध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत यह अनुज्ञेय नहीं है। सूचना का अधिकार कानून, पध्दति और प्रक्रिया के अनुसार आवेदक एवं अपीलकर्ता, लोक प्राधिकारी से एस तरह से कार्य करने अथवा एस तरह की कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल सूचना देने की अनुमति देता है।

इस प्रकार अपील का निस्तारण किया जाता है।

यदि आप उक्त निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप द्वितीय अपील प्राधिकारी, अर्थात्, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।

भवदीय,



(गौतम मंडल)

प्रधान रजिस्ट्रार/प्रथम अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री सिकन्दर पाल,

7082, टी हट्स, किदवई नगर पूर्व,

नई दिल्ली- 110023

Computer Section